श्री राम भवधेश सिंह: श्रीमन में यह बात सदन में इसलिए ला रहा हूं कि इनके अधिकारी किस तरह से इनको गलतफहमी में रखते हैं। ऐसी मूचना देते हैं इनके हस्ताक्षर से ऐसी वातें लिखकर भिजवा देते हैं कि उनसे वं।च श्राफ प्रिविलेज बनेगा 😬 (द्वचद्यान) में चाहता कि ये इन मामलों को खुद देखें और फाइल मंगाकर देखं कि इन मामलों में शो काज नोटिस भी नहीं दिया गया है और विना सिफिसियेन्ट कारणों के उनकी एजेन्सीज टरमिनेट कर दी गई। मैं चाहता है कि इनको रिवाइव किया जाये। ग्रौर नेच्रल जस्टिस की जो मांग है उसका पालन जिन अफसरों ने नहीं किया है उनको किसी वजह से माफ नहीं किया जा सकता है और उन अफसरों को पनिश किया जाना चाहिए। ग्रगर ग्राप उनको पनिश नहीं करेंगे तो ये श्रापके माथे पर अपने पाप को छिपाना चाहते हैं। गरीब लोगों के साथ जो पाप किया गया है उसको छिपाय। नहीं जा सकता है। आप इनको पनिश कीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: श्रीमन्, मैं थौड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : ग्राप बोल चुके हैं, इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मैं माननीय मंती जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उनके विभाग के जी कामगार हैं, कर्मचारी हैं, क्या उनको जानकारी है कि उनमें प्रसंती हैं है ऐसी स्थित में क्या वे अपने विभाग के कर्मचारियों और कामगारों को बुलाकर । उनके साथ बैठकर, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री बहम दसः श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सब,ल उठाया है और उन्होंने ग्रन्छा बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उनके ग्रधिकार छीनने नहीं जा रह हैं। मैं यह बात पहले की बता चुका हूं कि जो स्कीम बनेगी उसमें मजदूरों के नेताग्रों के साथ बैठकर हम विचार करेंगे, उनके साथ डिसकस करेंगे, । दूसरी बात समाज-वादी होने की कहा गई है। जहां तक किसी को समाजवादी करने की बात है, मैं यह साफ कहना चाहता हू कि कोई व्यक्ति किसा भी पार्टी में हो, समाजवादी कहने से माजवादी नहीं बन जाता है। जहां तक एजेन्सी देने की बात है, हमारा पूरा-पूरा प्रयास रहता है कि जो भी उत्तर भेजा जाये वर्सोच-समझ कर भेजा जाये। ग्रगर किसी के साथ कोई ग्रन्याय करता है तो साधारणन: छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री राम श्रवधेश सिंह: जो अधिकारी गलत सूचना देते हैं, उन पर भी श्राप विश्वास कर लेते हैं। श्रगर प्रमाण मिल जाये तो श्रापको फासी दे देनी चाहिए(ज्यवधान)

श्रो बहुम दत्त: मैं न तो उनको फांसी दे सकता हू और न आपको फांसी दे सकता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

The Delhi University (Amendment) Bill, 1988

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be taken into consideration."

The new education policy, envisages development of autonomous colleges. This was also mentioned in the the Education Commission Report of 1964 and 1966. The programme of Action to implement the policy has stated that about 500 colleges should be developed as autonomous colleges in the Seventh Plan. In pursuance of

this, the University Grants Commission has framed detailed guidelines on a scheme of autonomous colleges for consideration by various universities. According to guidelines, colleges which have been conferred autonomous status will have the freedom to frame their own curricula, courses of a study and evolve their own system of evaluation. The university to which the college is affiliated will confer the degree on a student who has qualified in the The guidelines also examination. indicate the criteria to be applied for selection of colleges, the procedures for conferring autonomous status, the governance of autonomous colleges and the provision for monitoring their performance. The guidelines also suggest that each university should set up a standing committee on autonomous colleges. The implementation of the scheme of autonomous colleges demands that the Acts of the university should have a provision which enables the university concerned to confer autonomous status on a college affiliated to them.

The Acts of most of the universities in the country have already such a provision. However, in cases where there are no such provisions, matter is being pursued with State Government for amendment to the respective Acts of the universities.

There are at present 9 universities functioning under the Acts of Parliament. Of these, 5 are only teaching universities and they have provision to affiliate colleges. These are Aligarh University, Muslim Banaras Hindu University, University of Hyderabad, Jawaharlal Nehru University and Visva Bharati University. Santiniketan. The remaining four universities, namely, the University of Delhi, Indira Gandhi Open University, North-East Hill University and Pondicherry University have powers also to affiliate The Acts of these unicolleges. versities have a provision to confer autonomous status of colleges affiliated to them. However, in the case

of University of Delhi, the existing provision in the Act to confer autonomous status is restrictive. According to that provision only professional colleges affiliated to the university can be given autonomous status. There are at present 54 colleges affiliated to the Delhi University. A large number of these colleges are offering only general education programme. Most of them well established institutions and could be conferred autonomous status. order to enable the university to do so, it is necessary the Act is amended so that the university can confer autonomous status on a college affiliated to it.

The Ministry of Law and Justice and Legal Affairs has been consulted and they have concurred. why the necessity of bringing forward this Bill.

VICE-CHAIRMAN (SHRI THE There is JAGESH DESAI): amendment by Mr. Satya Prakash Malaviya.

SHRI SATYA PRAKASH MALA-VIYA (Uttar Pradesh): I move:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members namely:-

- 1. Shri Chaturanan Mishra
- 2. Shri Yashwant Sinha
- 3. Shri Shanker Sinh Vaghela
- 4. Shri B. Satyanarayan Reddy man
- 5. Shri V Gopalsamy
- 6. Shri Kailash Pati Mishra
- 7. Shri M. A. Baby
- 8. Shri Mohd Khaleelur Rehman
- 9. Shri Dayanand Sahay
- 10. Shri Satya Prakash Malaviya.

The questions were proposed.

first day of the next session."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The motion for consideration and the amendment thereto are open for discussion.

DR. R. K. PODDAR (West Bengal): Mr. Vice-Chairman Sir, this is apparently an innocuous Bill. It proposes to include one sentence in the existing Act. But, Sir, I believe that the Government has dark motives behind this amendment. There are several most controversial features of the National Education Policy of which this is a part, this concept of autonomous colleges. Now, Sir, the concept of autonomous colleges, of course, is not new. As the Minister has said, it was mooted in 1964 in the Education Commission, that is about 24 years Then in 1973, some guidelines were framed but still the idea did not get the support of the academic community and there was a lot Now why this controcontroversy The Government is not enlightening this House why the academic community is not unanimous or is not interested in welcoming this proposal. The major reason, Sir, is, most academicians of this country feel that in our educational policy, it is not proper to imitate other countries. We have a tradition of our own. We must look into the history of our educational system and then adopt policies. Now, why this kind of promotion Of autonomous colleges? There are 5,000 colleges and even if the Government succeeds in establishing 500 colleges during the 7th Plan, what will happen to the other 4,500 colleges. Even it is successful it will create a class of Brahmin colleges and a class of Harijan colleges. The whole higher educational system will be divided into two classes, one for the ordinary people and one for the elite. So, this is the main purpose, the main portent of this idea. That is why, Sir, you know, even in 1987-88, in the annual report, the Department of Education has said, only 45 colleges all over India have yet been declared as autonomous of which 24 are in Tamil Nadu, 9 in Andhra Pradesh, 8 in Madhya Pradesh and 4 in Rajasthan, Only in these five States, a few colleges have been declared as autonomous colleges. is no response from the universities of the States like Gujarat, Haryana, Kerala, O'rissa, Punjab and West Bengal. Now, they want to impose this idea of autonomous colleges on these State Governments also. Now, what will happen. Sir, is, as it has in the case of already happened Navodava Vidvalayas, all the Central funds for education will be siphoned off, diverted to these select colleges and the other colleges will not receive any grants and they will be allowed to either wither away or rot. Then how the general mass of students of our country will get education? How these colleges During the past 20 years, evolved? very few colleges have come up. All the colleges have been established, say by 1967-68. During the British period, the Government did not supknow. port education as you Only one or two colleges...(Interruption)... were set up by the Government, while most of our affiliated colleges were set up by our own people in the various states.

Amdt, Bill, 1988

[The Vice Chairman (Shri H. Hanumanthappa) in the Chair].

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): That the light has gone off indicates that after the imposition of President's rule in Nagaland the light of democracy has gone out. (Interruptons). This is a commentary on the inefficiency of this Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You can continue your speech, Dr. Poddar. (Interruptions).

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Today, really it is a dark day.

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): Darker days are ahead for the Congress Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The light has come. If you cannot see this light, what can we do...(Interruptions).

SHRI DIPEN GHOSH: It is said that at 4 o'clock this will be taken up here. And, in between, there has been darkness. You can imagine what darkness it indicates. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Those who refuse to see the light will see only the darkness. (Interruptions). Please continue, Mr. Poddar.

SHRI DIPEN GHOSH: Despite the darkness on the other side, here there is light.

DR. R. K. PODDAR: What be the scenario in future? There will be a few colleges to which all the funds will be diverted and all the other colleges will be doomed to rot. Now, what will these few colleges do? They will have freedom to have their own courses of study. Thev conduct their own examinations. And what is the university supposed to do? The university consists. you know of under-graduate and There post-graduate departments. must be communication between the two. They should sit together and syllabus. The university frame the post-graduate department supervise the under-graduate studies. This link is sought to be cut off Most of these colleges will be privately run colleges. They will run their colleges in an autocratic authoritarian manner in which teachers will have no sav. They will run the colleges in their own And the university will be reduced to nothing but a post office. They

ţ

will conduct the examinations, grade them and send the results to the university and the university will put its stamp.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude.

DR. R. K. PODDAR: A few more minutes, Sir. Don't you think they will be caricatures of higher education? (Interruptions). Before I end. I will give the case-history of college from the south since most of the colleges are in the south. 1983, the Joint Action Committee of the Association of University chers, Madurai Kamaraj University Teachers Association and the Tamil Nadu Government College Teachers Association which has 85 per cent of teachers as members, appointed a sub-committee to investigate into the working of these autonomous colleges in the university. What they find? The sub-committee found tha<u>t</u> in a college in Madurai. Principal, the Vice-Principal and a few faculty heads conducted everything in the college. They announced changes in the courses or in the system of internal assessment without any discussion with the teaching staff. Once fifty ner cent of the hours allotted for Tamil and English studies were arbitrarily slashed and fifty per cent of the teachers were declared surplus. This is the way they function. Then the chers appealed to the Madras University and a two-member committee of the Madras University upheld the view-point of the teachers colleges are how these autonomous going to be run. Then there are other serious complaints that the subcommittee of the Joint Act Committee found. The sub-committee took note of the allegation that some senior professors had secured access to the question papers and answer sheets of the children. The nation has already been shaken by such cases of misuse of power by politicians and if such

[Dr. R. K. Poddar]

287

things happen in the 500 new places, you can easily imagine what happen to our higher education system. And the most peculiar of the UGC a guidelines is that they ask the universities to reserve certain for students that come from autonomous colleges. This is unconstitutional. Reservation is only Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per our Constitution. And these few colleges, not even 10% of the colleges, want reservation their students for admission to post-graduation courses. This not be allowed. In a recent seminar held in Delhi at the Indian Institute of Technology most of the tearhers vehemently opposed the introduction of autonomous colleges. So I would Minister request the not to hasten this things. I would agree with my colleague. Shri viva. let this Bill be referred Select Committee: let Select the Committee meet the different Vice-Chancellors, deans of faculties, scientists and teachers and then arrive at a decision as to what to do with this concept which is long undermined for the past twenty years. Or at least let the Minister meet the different teachers of the Delhi University before passing this Bill.

With these words I strongly oppose this Bill and suggest to the Minister to meet the teachers and see what their view-points are and then take a decision.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश):
माननीय उप मभाध्यक्ष जी. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम 1922 के संख्यांक
8 में (9क्ष) में जो संशोधन प्रस्तुत किया
गया है कि "किसी महाविद्यालय की स्वायत्त
महाविद्यालय घोषित करना" इसका मैं
समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। इसके
पूर्व की मैं समर्थन करूं यह मैं वता देना चाहता
हूं कि सन् 1922 और 1988 में बहुत
के हैं। आधी शताब्दि से भी अधिक

वर्ष बीत गए हैं स्रीर उस समय कहा गया था कि प्रत्येक महाविद्यालय की स्वायत्तता जिस सीमा तक हो सकेगी वह सीमा और वे विषय जिनके संबंध में वह ऐसी स्वा-यत्तता का प्रयोग कर सकेगा. ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में हमने विश्वविद्यालय की शिक्षा पर विशेष बल दिया है ग्रीर जो स्वायत्तता है स्राटोनोमी है उसकी विशेष छट दी है। एक ग्रीर जब विश्व-विद्यालयों में स्वायत्तता के नाम पर यु० जी । सी । या शिक्षा मंत्रालय कोई निश्चय करता है कितनी बड़ी विडंबना है उप-सभाध्यक्ष जी, कि एक निश्चय होता है परे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भ्रौर एक विश्वविद्यालय ग्रपनी एकैडमिक काऊंसिल में, ग्रपनी एग्जीक्यटिव काउंसिल में उन प्रस्तावों को जो ब्रादेश है सरकार क उसे रख करके अपनी सर्विधानसार उसे ढाल लेती है भ्रौर ऐंसा करती है कि उसकी मोनोपली, उसकी जो सर्वोच्च नियन्त्रण की क्षमता है वह हमेशा बनी रहे । हमने नई शिक्षा नीति के तहत जो निश्चय किया है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया स्वायत्त कालेजों का विकास सम्बद्ध कालेजों की पद्धति सुपाल कालेजों की पाठयचर्या, ग्रध्ययन पाठ्यकम ग्रथवा मुल्यांकन की स्वयं श्रपनी पद्धति तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती । स्पष्ट हमने माना है कि विश्वविद्यालय जो है कालेजों को पाठ्यचर्या ग्रध्ययन पाठकम ग्रथवा मल्यांकन की स्वयं ग्रपनी पद्धति तैयार करने की स्वतंत्रतता नहीं देते हैं हार्लाक विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग इस कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है फिर भी 21 कार्लेजों को ही यह स्वतंत्रता को अवसर प्रदान किया गया है। यह 1986 की राष्टीय शिक्षा नीति की कार्य से मैं उद्धत कर रहा हं। तो उसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 कालेजों को स्वायत्तता देने की बात की गई श्रीर हमारे अभी मःननीय पोददार जी जो कह रहे थे उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालययों की महत्ता बनी रहे ग्रौर कालेजों की स्वायत्तता न दी जाए। गजरात, केरल, हरियाणा की स्टैटस **सब्ज**क्ट है शिक्षा ग्रौर उसकी सामध्यं, शिक्षा व्यवस्था चलाने

का हमने निश्चय किया है तो गुजरात, केरल, हरियाणा ने कोई रेसपांस नहीं दिया है । केन्द्रीय सरकार का सारा धन विद्यालयों को चला जाएगा । विश्वविद्यालय का क्या काम रह जाएगा ? वह सम्मेलन केवल करेगा । उसकी जो मानोपली है जरूर खत्म हो जाएगी । निरंकुशता कालेज चलाए जाएगें ग्रौर वे होस्टल के समान हो जायेंगे। स्वायनता प्राप्त कालेजों में कोयम्बट्र का उदाहरण दिया गया कि कुछ शिक्षक ग्रौर प्रधानाचार्य ग्रौर उप प्रधानाचार्य वहां कोर्स ग्रादि तैयार करते हैं श्रीर शिक्षकों से सलाह भी नहीं लेते । मीनियर प्रोफेसर प्रशासन से टकराते हैं श्रीर एक बड़ा दुखद श्रारोप लगाया कि प्रोफेसर प्रश्नपत्न जो बनाते हैं **ग्र**पने घर उत्तर पुस्तिकाएं पहले मंगवा करके श्रपने बच्चों या संबंधियों या ग्रपने ग्रौर जिनको बे श्रोत्लाइज करना चाहते हैं उनको उत्तर बता देते हैं। ग्रीर ग्रनुसूचित जाति ग्रीर अनुमूचित जनजातियों को आरक्षण रहेगा ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली विष्वविद्यालय में एक लाख से ग्रधिक ाँठते हैं स्रोर कात्र प्रतिवर्ष परीक्षा परीक्षा में जब वह बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि विश्व-विद्यालय का शिक्षक प्रश्त-पत्न बनाता है, कालेजों में कितनी पढाई होती है, किस रूप में होती है, उसका उसे ज्ञान ही नहीं रहता है ग्रीर छात्रों को उसका खामियाजा भरना पडता है। इसलिए स्वायत्ता कालेजों को न दी जाय, मेनेजमेंट की स्वायता न दी जाय । यह मैं कनई मानने को तैयार नहीं हूं। यू० जी । सी० ने जो फ्रेम-वर्क किया है कालेजों की स्वायतत्ता का, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षकों की ग्रीर ग्रन्य कर्मचारी गण हैं, मैं तो इस बात को भी स्रापके माध्यम से शितामंत्री जी से कहना चाहंगा कि छात्रों को भी उसमें श्रतिनि बित्व मिलना चाहिए ग्रौर मेनेजमेंट सबको लेकर के चलने में विश्वास करता है। अप्राज तक हमें ग्रन्भव है दिल्ली विश्व-विद्यालय में कालेज पें ग्रज्यापन ग्रीर प्रिसिपल के रूप में काम करने का, कि कोई अभी चोज हम करा चाहते हैं तो पहले गर्वानग-बाड़ी, अपने शासी-तिकाय से हम संपर्क करेंगे, उसके पहले दिल्ली-विश्व-विद्यालय अपना एक कानून निकाल देगा । दो-दो मेनेजमेंट हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इस चीज को तोड़ने के लिए मोनो-पोली तोड़ने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वायत्ता प्रदान की जाय कालेओं को।

ग्राज का दिन भारत के शिक्षा-इतिहास में जो सबसे बड़ा केन्द्रीय वि विद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसको जो स्वतंत्रता प्रदान की जाय, स्वर्णक्षरों में लिखा जाएगा। हां, इससे कुछ हानि जरूर होगी, जैसे प्रतिवर्ष टीचर का ग्रांदोलन होता है ग्रीर सालों पढ़ाई खराब होती है छात्रो की, हम जो फीस देते हैं ग्रपने बच्चों की ग्रीर लड़के पढ़ नहीं पाते हैं ग्रीर सभी ग्रपनी मांग मनवाने के लिए ग्रपने संघों के माध्यम से जो हम कार्यवाही करते हैं, वह ग्रब सीमित हो जाएगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी एकाउण्टबिलिटी होनी चाहिए टीचर की ।
अगर हम एकाउण्टेबिलिटी अपनी फिक्स
नहीं करते हैं और आटोनोमी की बात
करते हैं और आटोनोमी भारत सरकार
की शिक्षा-नीति में िद्याउट एकाउण्टेबिल्टी के दी जाती है तो यह बहुन बड़ा
विश्वासघात राष्ट्र की जनता के साथ
और नई शिक्षा नीति के साथ होगा ।
में आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां आटोनोमी की बात की ग है, वहीं निश्चित रूप
से एकाउटेबिल्टी की बात होनी चाहिए ।
मैं यह जो बिल आया है, इसका समर्थन
करता हूं।

उपतमाध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम ग्राफ एक्शन, 1986 में संसद के सामने श्राया था ग्रौर ग्रज भी जो एपिलेटेड या कांस्टीट्राब्ट कालेज हैं, उनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, न कराकुलम में, न कोर्नेज ग्राफ स्टडो में, न इवल्यूएशन सिस्टम में । इस तरह उन्हें श्रपनी पहवान बनाने का श्रवसर नहीं मिल पा रहा है । इसो में कहा गया है कि 500 कालेजों को ग्राप स्वायत कालेज बनाने

हा० रत्नाकर पाण्डेय

्जा रहे हैं भीर यह 1986 की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें बहुत से कालेजों को म्रापने स्वायत्तता प्रदान की है दूसरे प्रांतों में । इसके साथ ही जिन्हें प्राटोनोमी मिली, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि कई विश्वविद्यालयों में श्राटोनोमी का कोई प्रावधान ही नहीं है, वह सब कुछ करेंगे, लेकिन अंत में जब चाहेंगे तभी कोई काम कालेजों में होगा । इसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। कहीं ऐसा न हो कि उसमें प्रावधान तो हम कर लें . ब्राटोनोमी का, लेकिन ब्रागे चलकर हम किसी के कहीं दबाव में, कही धमकी में झुक जायं। तो हम निश्चय करें ·**जो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के** एक्ट में संशोधन करें, उसे कड़ाई के साथ प्रमल में लाएं । चुने गए कालजों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए । साऊथ इंडिया के भनेक विश्वविद्यालयों में यह प्रयोग सफल हुआ है । इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा की पद्धति में हमें सुधार लाना है। ग्राज परिका की स्थिति यह है कि छात्रों के भय में जो इनविजलेंस करने वाले हैं, वे भपने प्राणों से डरते हैं। छान्न खुले ग्राम नकल करता है ग्रौर इनविज-नेटर कुछ नहीं कर पता है । इसमें धनेक प्रयोग हमें करने हैं । मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रध्यापक संघ से अनुरोध व इंगा कि यदि आप स्वतंत्रता में संघ ही शक्ति है, इस में विश्वास करते हो, एकता में ही कलियुग में शक्ति है में विश्वास करते हो तो उन को स्वायत्तता दो, स्वतंत्रता दो भीर वे भ्रपने-भ्रपने दायरे में भ्रपना भैनेजमेंट करें, श्रपना कोर्स बनाएं। यूनियंस बनाकर नहीं, चाहे टीचर्स हो, स्ट्रेडेंट्स हों, कर्मचारी हों, बलफेयर ्रसोसिएशन बनाकर, कल्याण परिषद् वनाकर हित की बात करें। यह जनतंत्र का युग है । यूनियन पर ग्राघात जरूर भाएगा । ट्रेंड यूनियनिस्ट्स लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा में ट्रेड चुनियनशिप को मत पनपने दो । प्रगर

इस देश में भ्राने व ली पीढ़ी को उनकी **प्रात्मा का साक्षात्कार कराना है** तो शिक्षा के क्षेत्र से ट्रेड यूनियनिज्म हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार को कमजोर इरादों से काम नहीं लेना चाहिए । जब ग्रापने तनस्वाह बढ़ायी है भीर दूसरी सुविधाएं दी हैं तो हमें उसका परिणाम भी मिलना चाहिए । कोई छात्र 60 प्रतिशत ग्रंक लेकर भाए भौर फेल होकर निकले, यह धनुचित है।

महोदय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी विचित्र स्थिति है। विश्वविद्यालय भनुदान भायोग, शिक्षा को भनुदान से जोड़ दिया गया है । श्रनुदान श्राप देते हैं, उसको शिक्षा समिति कहिए, यूनिवसिटी कमीशन कहिए । ग्रांट को भ्रलग रखिए ग्रीर उसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को रिखए । विश्वविद्यालय भनुदान भायोग की स्वायत्तता की जो बात है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनायी गयी हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुन्ना है कि 5 लाख रुपया युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रत्येक कालेज जो स्वायत्त कालेज हैं, उन्हें लायब्रेरी, पुस्तकें लेबोरेटरी ग्रादि के लिए देगा । यह भाटोनोमी है। एक प्राथमिक चीज है, एक प्रयोग हम करने जा रह हैं। इस प्रयोग का उत्तरदायित्व सब का है । कालेज का मैनेजमेट कालेज का टीचर, कालेज का छात्र सब पर उसका दायित्व है । इस उत्तरदायित्व का हमें कड़ाई से पालन कराना चाहिए मैनेजमेट कोई मिसरज न करे, टीचर्स की बातें सुने, कर्मचारी की बातें सुने । लेकिन यदि भ्रन्छा रिजल्ट न लाने के लिए मैनेजमेंट किसी को प्रताड़ित करता है तो उस पर यूनियन को खड़ा नहीं होना चाहिए । यह मैं सरकार से मांग करता हूं । शिक्षक को श्रपना काम करना होगा । उसे एकाउण्टबिलिटी दिखानी होगी, परणाम दिखाने होंगे । यदि कोर्स बदलना है तो कोर्स बहलने का काम शिक्षक ही करेंगे । महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले.

मट्ठीभर स्रोग ही विद्वान नहीं है, तमाम कालेजों में मंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भपने-भपने विषय के विद्वान हैं। हमारे 54 कालेजों में ऐसे-ऐसे विद्वान हैं कि यदि उनकी बिबलियोगफी बनायी जाए हो एक एनसायक्लोपीडिया बन सकता है। हमारे कालेजों में ऐसी ही प्रतिभाएं हैं । लेकिन कामचोरी को हमें छोड़ना पढेगा । भगर शिक्षक काम नहीं करेंगे, भाटोनोमी का दुरुपयोग करेंगे तो यह चलनेवाला नहीं है । मैं कहना चाहुंगा कि जहां भाप स्वायत्तता की बात करते हैं भौर स्वायत्तता को कालेजों में लाग् करना चाहते हैं तो केवल दिल्ली विश्व-विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में कोई हाई पावर कमेटी विश्वविद्यालय मनुदान मायोग बनाए भीर कालेजों में नए सुधार कराए ।

इस पर वे विचार करें। कोर्स में, कोर्स किस तरह से कालजों का रखना चाहिए, मध्यापन की प्रवत्तियों में किस तरह **सें सूधार क**रना चाहिए, किस **से** प्रोजक्ट सेमिनार, प्रोग्नाम लर्निंग कैसे बनाए जाएं, इन सब पर वे भ्रपनी राय दें भौर सलाह ली जाए । इसमें **भ**लग-श्रलग कालेजों को छोडना उचित नहीं होगा । स्वायत्तता का काम भी, मॉडेलिंग का कामभी, मॉनिटरिंग का काम भी, दिशा निर्देश का काम भी विश्वविद्यालय भ्रनुदान भायोग की भोर से होना चाहिए ग्रौर स्टेंडिंग कमेटी मॉनिटरिंग करने के लिए होनी चाहिए। दूसरा, लर्निग मैटरियल ,िकताबी पाठय सामग्री में सुधार होना है और इसी कमेटी के तहत एक दूसरी कमेटी बनाई आगए जो पठन सामग्री क्यौर प्रयोग की सामग्री में किस तरह से, कसे सुधार होगा मौर कैसा वातावरण, एटमास्फियर ग्रौर परिस्थिति के ग्रनुकुल विभिन्न कालेजों में बनाया जाए, इस पर विचार करे । मगर किताबें मुद्रित करानी हैं तो लाखों किताबें उनकी उनमें बार-बार सुधारन करना भौर सरकार के मुल्यवान धन का दुरुपयोग न हो । परीक्षात्रों में सुधार की जरूरत है । मत्यांकन, इवेल्यूएशन

सिस्टम सूघारने के वक्त भ्रपना उत्तर दायित्व प्रध्यापक न प्रदा करें, इस पर कड़े ढ़ंग से हमें विचार करना चाहिए। शिक्षक को ही अगर इवेल्यएशन का काम दे दिया जाए ग्रौर छात्रों से ब्लैक-मेल किया जाए, मान्यवर, जवाहर नाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक घटना मैं भापको बताना चाहता हूं। एक रिसर्च स्कॉलर हिस्ट्री के प्रोफसर साहब, जरूरत पडेगी तो मैं ग्रापको पूरा विवरण नाम भौर उस छात्रा को उपस्थित करूंगा। एक छाता के साथ श्रभद्र श्रीर श्रशोभनीय **म्यवहार करने के लिए भौर** उन्होंने उसका केरियर इवेल्युएशन के नाम पर तीन वर्ष तक खराब किया भीर इस तरह की डिक्टेटरशिप धौर मोनोपली सब दूर हो । जिसकी प्रतिभा है, धनुरूप वह भएना ज्ञान हासिल सके । किसी तरह की ध्यटिनिंग, किसी तरह का दबाव, किसी तरह की श्रौर कोई ऐसी दृष्प्रवत्ति का शिकार न हों इमारे विद्यार्थी ,इसलिए इन तीन बीजों को हमें लाना होगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच हन् मनतरपा): बतम कीजिए ... (समय को घरटी)

डा० रतनाकार पाण्डेय : खतम कर रहा हूं। टीचिंग मेथड, एनोवेशन, एक, टीचिंग मैटरियल-दो **मौ**र ग्रिवन्सिज, इन तीनों पर युःजीःसीठ स्वायत्तता को लेकर के काम करें। मझे खुशी है कि श्री राजीव गांधी की सरकार करनी श्रौर कथनी में फर्क नहीं करती । नई शिक्षा नीति के तहत उसने वचन दिया या कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हम पांच सौ कालेजस् को स्वायत्तता प्रदान करेंगे। एक चीज भौर मैं कहना चाहुंगा । दिल्ली विश्व-विद्यालय के कालेजों की मैनेजिंग बॉड़ी भ्राप एक साल के लिए बनाते हैं तथा दिल्ली प्रशासन तथा कारपोरेशन मैम्बर्स भौर दिल्ली के प्रतिष्ठित शिक्षा-विद श्रोर सामाजिक लोग उसमें श्राते हैं । एक वर्ष उन्हें समझने में लग जाता है भीर तब तक भ्राप उवाबदल देते हैं । प्रत्येक गवनिंग बॉड़ी, शासी निकाय कम से कम पांच वर्ष का बनाएं झौर

डा॰ रतनाकर पाण्डेय एक बार उसका चुनाव हो तो 5 वर्ष तक काम करने का उसको मौका दें, अगर स्थाई रिजल्ट आप लेना चाहते 養し

इन शब्दों के सत्य सन् 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो ग्रपना एक्ट बना लिया था, वह भ्राज स्वायत्तता प्रदान कर रहा है। 54 कालेजों में एक नई हवं की लहर भ्रपनी स्वायत्तता प्राप्त करने की ग्रांज इस सदन के माध्यम से व्याप्त होगी ।

इन शब्दों के साथ, उपसभाष्ट्रयक्ष जी, श्रापने मुझे बोलने का मौका दिया । शिक्षा को जितनी ही स्वतंत्रता हम देंगे, जिनना ही स्वाभाविक ढंग से हम हृदय को भावताओं को पतपने का और ज्ञान के लिए खिड़की और दरवाजे ग्राने मानस के खुने रखने का ग्राव्सर देंगे उतना ही हमारा देश ग्रागे बढेगा स्रीर दिल्तो विस्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यातम है ग्रोर उस विश्व-विद्यालय के माध्यम से लाखों लाख छात्र प्रतिवर्ग ग्रामने कालेजों द्वारा जो स्वायत्तता प्राप्त करेंगे उसके वल पर हम कह सकते हैं कि अने वाली हमारी पीढ़ियां निश्चित हम से ब्रात्मसाक्षात्कार कर सकेंगो ग्रोर राष्ट्र में एक नया प्रयोग, जो राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया है, जहा 247 करोड़ हाए स्रनुदान था वहां 15 सौ करोड़ रुपए अनुदान दिया पिठले बजट । उसे । उसका सही इंग से उन्नाहो। जो ब्यूरोकट्स हैं, कुछ मोतोरतो बाते लोग हैं, जैसे एरिस्ट्रोकट होता है उसी प्रकार से एजुकेवनन एरिस्ट्रोकट्स इस देश में हैं।

म्राज कोई भी कनेटी बनती है चहे अकादमायों की हो या यू⇒जी०सी० हा।र एजुकेशन मिनिस्ट्रों की हो, उसमें लिस्ट मंत्री महोदय देखें तो वही घुमा-फिराकर सी दो सौ नाम मिलेंगे । एसी कोई भी मोनोपली भंग करो ग्रगर राजीव गांधी के सपनों की शिक्षा नीति लागू

ामित विद्वारी _क्रिक करना चाहते हो । ग्राज गोरखपुर, बनारस, कर्नाटक, कोयम्बतूर हर जगह विद्वान बेठे हुए हैं, उन सब को प्रति-निधित्व दो तब जाकर मोनोपली टूटगी। भ्रापको निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी पाट्स कमीशन का नाम बदलना होगा। अगर शिक्षा को ग्रांट से जोड़कर र**खते** हैं, अनुदान पर निर्भर रखते हैं तो क्या होगा ? इसे शिक्षा समिति बनाइए। बड़े-बड़े विद्वान शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनकी मीटिग बुलाकर श्रापको कुछ लोगों की मोनोपली तोड़नी होगी उनकी मोनोपली नहीं टूटेगी तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती हमारे जो प्रो० यशपाल जी हैं चेयरमैन, में ग्रभी पढ़ रहा था, उन्होने हैदराबाद में कहा कि भाषातार विश्वविद्यालयों तेलगू विश्वविद्यालय की स्थापना इस देश के लिए उचित नहीं है । किसी को डिक्टेटर बनने का ग्रधिकार नहीं होता है । सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शाही जी नीति बनाएं, लेकिन किसी ब्युरोकेंट को यह ग्रधिकार नहीं है कि वह सरकारी नीति के विपरोत घोषित करे । इससे बहुत बड़ा नुकसान आगे चलकर होते वाला है।

महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 20 वर्षों से अध्यापक और प्रिसिपल के रूप में ग्रपनी सेवाएं देता रहा हूं ग्रीर मुझे खुशी है कि जो हमारा स्वायत्तता का सर्वना था वह ग्राज पूरा हो रहा है । । जब कोई सपन साकार होता है तो निश्चित रूप से हमारा मानस गदगद हो उठता है । उस गदगद मानस को जो लोग यूनियनबाजी से, ट्रेड यूनियनिज्म से हिनानां चाहते हैं, तोड़नां चाहते हैं, जो लोगों में श्रंतर पैदा करना चाहते हैं, उनकी कोशिणों को नाकाम करना होगा । जो लोग हड़तालें कराते हैं, उत्पादन रोकते हैं, गिक्षा के क्षेत्र में हड़तानें ग्रीर ग्रान्दोलन कराकर छात्रों के साथ मजाक करते हैं, उनके मां-बाप की गाड़ी कमाई को बेकार करते हैं,

 $\frac{(a_1,\dots,a_{r-1},a_{$

in Nagaland

ऐसे लोगों से मैं स्राप्रह करूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दें। यह बड़ा पवित्र क्षेत्र है, उसमें किसी तरह की यूनियनवाजी स्रार किसी तरह का भदभाव हमेशा के लिए समाप्त हो।

इन शब्दों के साथ मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री साही जी ने जो विल सदन के सामने रखा है ग्रीर दिल्ली ग्रधिनियम. विश्वविद्यालय 1922 की धाराश्चों में जो स्वायत्तता का ग्रष्ट्याय जोडा है. उसके लिए मैं भारत ग्रौर विशेषकर राजीव जी को बधाई देना चाहता हूं । इन्हों शब्दों के साथ नैं ग्रपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। 1,

जा र प्रां

111 mg = 3 =

धन्यवाद ।

STATUTORY RESOLUTION SEEK-ING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTI-CLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF NAGALAND

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move ... (Interruptions). Rest assured, we have done according to the Constitution of India. There is nothing unconstitutional.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): After having failed to bus up the MLAs' you have imposed the President's Rule.

SHRI BUTA SINGH: Sir, I beg to move:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th August, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Nagaland.

Sir, the Governor of Nagaland has reported that 13 MLAs belonging to the Congress (I) Party 1ed by Shri

K. L. Chism had conveyed their decision to break from the Party and form a new party called Congress Regional Nagaland. They also proached the Speaker of the Assembly and sought recognition of this split. The Governor has further reported that on July 31, 1988, Shri Vamuzo, the Leader of the Opposition, informed the Governor that the Legislators belonging to the National Democratic Party, the Congress Regional Nagaland Party, the Naga People's Party, and four Independent Members of the Legislative Assembly decided to work together under the name and style of Joint Regional Legislative Party and demanded the dismissal of the Government headed by Shri Hokishe Sema on the plea that it has been reduced to minority and sought invitation to form an alternative Government. On August 2 another letter signed by 32 Members belonging to the so-called JRLP reiterated their demand to dismis...(Interruptions).

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): Why co-called? Interrup. tions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Ram Awadesh Singh you have given your name. You are speaking on the Resolution.

SHRI BUTA SINGH: Sir, he has intervened, let me reply him Socalled, because it has been superseded, it was a so-called. Now a new party has come.

AN HON. MEMBER: Who super-seded?

AN HON MEMBER: It lived only for a few hours.

SHRI BUTA SINGH: They did it. I did not do it.

[The Deputy Chairman in the Chair].

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Who did it?